सं०सं०–16 / सी 1–01 / 2025 – 1543 (अनु.)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राय अमर नाथ सहाय,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 16.10.2026

विषय :– राजकीय श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय–सह–चिकित्सालय, बक्सर में सह–प्राध्यापक (द्रव्यगुण विभाग एवं शरीर क्रिया विभाग) के लिए दिनांक–01.06.1991 से 01.06.1996 तक दो पद एवं प्राध्यापक, (अगद तंत्र विभाग) के लिए दिनांक–01.06.1996 से दिनांक–30.06.2020 तक एक पद अर्थात कुल 3 (तीन) अधिसंख्य पदों (Supernumerary Post) के सृजन की स्वीकृति।

समादेश याचिका संख्या–14925 / 2023 डॉ० विजयानन्द पाण्डेय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा समादेश याचिका संख्या–140 / 2025 डॉ० राजेन्द्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य एव अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित समरूप आदेश दिनांक–27.06.2025 में याचिकाकर्त्ताओं के अभ्यावेदन को 60 दिनों के अंदर सकारण आदेश के साथ निष्पादित करने का आदेश है। पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है–

"..... Considering the above submissions made by the counsels, it would be appropriate to disposed of the writ petition, at this stage, itself directing the concerned respondent to consider and decide the pending representations of the petitioners (Annexure-3) in light of the observation made by this Court in L.P.A. No. 1457 of 2018. Accordingly, this writ petition is disposed of. The concerned respondent is also directed to consider and decide the representations of the petitioners and pass a reasoned order in accordance with the relevant rules and law and further considering the observation made by the Division Bench of this Court in L.P.A. No. 1457 of 2018 as also taking into consideration the litigation policy of the State government as early as possible preferably within 60 days from the date of receipt of a copy of this order.

2. याचिकाकर्त्ताओं द्वारा उक्त न्यायादेश एवं L.P.A संख्या– 1457/2018 में पारित आदेश एवं बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के प्रावधानों के आलोक में, डॉ0 संपूर्णानन्द तिवारी, सेवानिवृत प्राचार्य राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना की भांति उन्हें भी नियुक्ति की तिथि दिनांक 01.06.1986 से पॉच वर्षो की सेवा के उपरांत प्रवाचक एव दस वर्षो की सेवा के उपरांत प्राध्यापक के पद पर नियमानुसार प्रोन्नति देते हुए सभी देय आर्थिक लाभ के भुगतान का अनुरोध किया गया है।

3. वादियों की नियुक्ति श्री धन्वन्तरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अहिरौली (बक्सर) मे तत्कालीन शासी निकाय के द्वारा की गयी थी। कालांतर मे विभागीय अधिसूचना संख्या–223 (दे०चि०), दिनांक 09.02.2016 के द्वारा याचिकाकर्त्ताओं की सेवा को व्याख्याता के पद पर अन्य लोगों के साथ दिनांक 01.06.1988 के प्रभाव से सम्पुष्ट की गयी। लेकिन याचिकाकर्त्ताओं को कोई नियमित प्रोन्नति नहीं दी गयी। जबकि याचिकाकर्त्ताओ के सदृश्य डॉ० (प्रो०) सम्पूर्णानन्द तिवारी को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा L.P.A संख्या–1457/2018 में दिनांक 05.09.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में नियमानुसार व्याख्याता पद पर 05 वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वर्ष 10.01.1990 से प्रवाचक एवं 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 10.01.1995 से प्राध्यापक के पद पर आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति, विभागीय अधिसूचना संख्या 599(आ0चि0) दिनांक 30.06.2021 द्वारा दिया जा चुका है।

4. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के पत्रांक–3–20/91–आयु० दिनांक 03 06 1991 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इन विनियमों के अधीन केवल उन्ही अध्यापको की प्रोन्नति विनियमित होगी जिनकी नियुक्ति दिनांक–01.07.1989 के पश्चात की गयी है। परिषद के पत्रांक–3–20/96–आयु० दिनांक–29.03.1996 द्वारा पुन: स्पष्ट किया गया कि 01 07 1989 के पूर्व नियुक्त अध्यापकों की प्रोन्नति के लिए स्नातकोत्तर अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।

5. एल0पी0ए0 संख्या 1457/2018 सपूर्णानंद तिवारी बनाम बिहार राज्य एव अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 05.09.2019 को आदेश पारित किया गया है जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है–

".....From a perusal of the said affidavit and the stand taken by the Central Council of Indian Medicine there is absolutely no doubt that those who had been appointed prior to 01.07.1989 were not required to be possessed of Post Graduate qualification for the purposes of promotion upon completion of five years of service as Lecturer. The appellant therefore completed his five years of service on 10.01.1990 and there is nothing on record to indicate that any further

condition was introduced by the State Government or by any authority putting an embargo on the promotion of such persons. To the contrary the clarifications which has been issued after the notification of 1989 in 1991, 1996 and reasserted in 2006 by the Central Council of Indian Medicine, the appellant cannot be denied the said benefit on the ground of not possessing the Post-Graduate qualification then.

For all the aforesaid reasons, we therefore, do not find any justification for limiting the benefit of promotion to the appellant with effect from 2010. The appellant having completed five years of experience way back in the year 1990 would be entitled to the benefit of promotion on the date he completed five years of service as a Lecturer."

We therefore allow this appeal to the aforesaid extent and modify the impugned judgment of the learned Single Judge with a direction to the respondent-State Government to accordingly extend such benefits to which the petitioner may be entitled together with consequential benefits as directed by the learned Single Judge vide his judgment dated 08.09.2016 subject to the modification hereinabove. The respondent shall pass an appropriate order in this regard within six weeks from today. The appeal is accordingly allowed."

6 उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा एस0एल0पी0 (सी) 22758/2020 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम संपूर्णानन्द तिवारी एवं अन्य दायर किया गया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2021 को आदेश पारित किया गया है जो निम्नवत है–

"We see no reason to interfere with the impugned judgment passed by the High court. The Special Leave Petition is dismissed on the ground of delay and on merits. Pending application(s), if any, shall stand disposed of."

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के उपरान्त डा0 सम्पूर्णानन्द तिवारी को दिनांक–10.01 1990 के प्रभाव से प्रवाचक एवं दिनांक–10.01.1995 के प्रभाव से प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी गयी है एवं इस हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक दिनांक–02.02 2026 के माध्यम से राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना के द्रव्यगुण विभाग में दिनाक–10 01.1990 से 16.02.1990 तक प्रवाचक के 01 एवं दिनांक–22.03 2011 से 30 06. 2020 तक प्राध्यापक के 01 अर्थात कुल 02 अधिसंख्य पदो के सृजन के स्वीकृत प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–05.08 2026 के मद संख्या–11 के रूप में स्वीकृति प्राप्त की गयी है।

8. समादेश याचिका सख्या–14925/2023 डॉ० विजयानन्द पाण्डेय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एव अन्य तथा समादेश याचिका संख्या–140/2025 डॉ० राजेन्द्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–27 06 2025 को पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्त्ताओं को प्रोन्नति देने के विषय पर विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया।

9 विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में डॉ0 विजयानद पाण्डेय (सेवानिवृति की तिथि 31.01.2023), डॉ0 विपुल कुमार (सेवानिवृति की तिथि 31.01 2022), डॉ0 प्रदीप कुमार जायसवाल (सेवानिवृति की तिथि 31.01.2022), डॉ0 गोपालजी उपाध्याय (सेवानिवृति की तिथि 31 01.2021), एवं डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद (सेवानिवृति की तिथि 30 06 2020), सभी सेवानिवृत व्याख्याता, राजकीय श्री धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय एव चिकित्सालय, अहिरौली, बक्सर का मामला डॉ0 तिवारी के सदृश्य पाया गया है। याचिकाकर्त्ताओं की सेवा को वर्ष 1986 के अधिग्रहण से माना गया है एवं 01.07.1989 के पूर्व नियुक्त अध्यापकों की प्रोन्नति हेतु स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य योग्यता नहीं थी। चूँकि याचिकाकर्ताओं को सह–प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति 01 06.1991 एवं प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति 01.06 1996 के प्रभाव से दिया जाना है परंतु तत्समय सह–प्राध्यापक (द्रव्यगुण विभाग एवं शरीर क्रिया विभाग) के दो एवं प्राध्यापक (अगद तंत्र विभाग) का एक पद रिक्त नहीं था ऐसी स्थिति में अग्रेतर कार्रवाई हेतु वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। वित्त विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि ऐसी स्थिति मे पद रिक्त नहीं रहने की अवधि के लिए 03 (तीन) Supernumerary पद सृजित करने की कार्रवाई की जानी चाहिए।

10. प्रशासी पदवर्ग समिति (वित्त विभाग) की दिनांक–29.09.2026 की बैठक मे क्रमांक–01 पर राजकीय श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय–सह–चिकित्सालय, बक्सर मे सह–प्राध्यापक(द्रव्यगुण विभाग एवं शरीर क्रिया विभाग) के लिए वेतनमान् 3000–4500 में दिनांक–01.06.1991 से 01.06.1996 तक दो पद एव प्राध्यापक, (अगद तत्र विभाग) के लिए वेतनमान् 3700–5000 में दिनांक 01.06.1996 से दिनांक–30.06.2020 तक एक पद अर्थात कुल 3 (तीन) Supernumerary पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है

11. प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–12.10 2026 मे मद संख्या–10 के रूप मे सम्मिलित एवं स्वीकृत किया गया है।

12. उपर्युक्त के आलोक में राजकीय श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय–सह –चिकित्सालय, बक्सर में सह–प्राध्यापक(द्रव्यगुण विभाग एवं शरीर क्रिया विभाग) के लिए वेतनमान् 3000–4500 में दिनांक–01.06.1991 से 01.06.1996 तक दो पद एवं प्राध्यापक, (अगद तंत्र विभाग) के लिए वेतनमान् 3700–5000 में दिनांक 01.06 1996 से दिनाक–30.06.

2020 तक एक पद अर्थात कुल 3 (तीन) Supernumerary पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(राय अमर नाथ सहाय)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–16/सी.1–01/2025–1543 (अ.वि.) **/ पटना, दिनांक –** 16.10.2026

प्रतिलिपि– मुख्यमत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मत्रिमंडल सचिवालय, विभाग, राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक–12.10.2026 की बैठक के मद संख्या–10 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0), बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, पटना/निदेशक, आयुर्वेद, होमियोपैथी, यूनानी/मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य औषधीय पादप बोर्ड, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–07 एवं 16 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सचिव भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्राचार्य, राजकीय श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय–सह–चिकित्सालय, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/सभी प्राचार्य/अधीक्षक/उपाधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/प्रबंधक राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निमार्णशाला, पटना/अनुसंधान पदाधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक एव यूनानी अनुसंधान ईकाई, पटना/उपाधीक्षक, 10 शैय्यायुक्त राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/10
संयुक्त सचिव